फर्द अहकाम

21 धारा 251/88 **बनाम** आम जनता [illegible]

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेट, पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

विशेष संख्या ......595.../2021 । 5191

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15.5.25	वकुलाये फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दोरे/अवकाश/प्रशा.कार्यो में व्यस्त है पत्रावली दिनांक...20.5.25 को पेश हो।	
20.05.25	पत्रा० पेश हुई। [illegible] प्रतिवादी [illegible] लिखित बहस पेश की [illegible] किया। वकुलाये फरीकेन की [illegible] अंतिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 18/06/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)	
18/06/25	पत्रा० आज आदेशार्थ पेश हुई। [illegible] वादी का वाद [illegible] स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। तदनुसार [illegible] जारी हो। पत्रावली [illegible] होकर दर्ज रजिस्टर के [illegible] दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Kapil Kumar Date: 2025.07.31 16:36:54 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी – श्री कपिल कुमार (आर.ए.एस.)
वाद पत्र संख्या – 130/2016
पुनः दर्ज संख्या – 595/2021 दर्ज दिनांक :– 06.10.2021

उनवान/शीर्षक

राधेश्यामसिंह पुत्र स्व. श्री रिछपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दांतिल तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान –वादी

बनाम

1.औमप्रकाशसिंह पुत्र स्व. श्री अमरसिंह
2. उम्मेदसिंह पुत्र स्व. श्री अमरसिंह
3. पाबुदानसिंह पुत्र स्व. श्री रावतसिंह (फौत)
3/1 प्रदयुमनसिंह पुत्र श्री पाबुदानसिंह
3/2 ईश्वरसिंह पुत्र श्री पाबुदानसिंह
3/3 सुनिता कंवर पुत्री श्री पाबुदानसिंह
3/4 पंतग कंवर पुत्री श्री पाबुदानसिंह
4. श्रीमती हेमलता पत्नी स्व. श्री सुमेरसिंह
5. गजराजसिंह पुत्र स्व. श्री सुमेरसिंह
6. बृजराजसिंह पुत्र स्व. श्री सुमेरसिंह
7. मीरा कंवर पुत्री स्व. श्री सुमेरसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम दांतिल तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
8. बहादुरसिंह पुत्र स्व. श्री हरिसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुलाबढ तन दांतिल तहसील कोटपूतली हाल तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड
10. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय सब रजिस्ट्रार कार्यालय हाल कार्यालय पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड **प्रतिवादीगण**
11. उदयसिंह पुत्र स्व. श्री रिछपालसिंह (फौत)
11/1 शांति पत्नी उदयसिंह
11/2 हरेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह
11/3 करणसिंह पुत्र उदयसिंह
11/4 सुषमा कंवर पुत्री उदयसिंह
समस्त जाति राजपूत नि. दांतिल तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक, तकास्मा एव स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 18.06.2025

1– वादी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश वाद घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा निम्नानुसार है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 11[illegible] 1 बिघा 2 बिस्वा, 1105 रकबा 6 बिस्वा, 1106 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, [illegible] 1108 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1109 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 1110 रकबा [illegible] बीघा 18 बिस्वा, 1111 रकबा 2 बीघा, 1112 रकबा 17 बिस्वा, 1113 रकबा 9 बिस्वा, 1114 रकबा 6 बिस्वा, 1184 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1185 रकबा 9 बिस्वा, 1186 रकबा 8 बिस्वा, 1187 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 1188 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 16 बीघा 4 बिस्वा वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:36:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2– उपरोक्त आराजी जिसका विवरण वाद पत्र के जिम्मन नम्बर 1 में वर्णित है के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार रिछपालसिंह वल्द दुर्जनसालसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार रावतसिंह पुत्र कालूसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार नन्द वल्द मामराज महाजन थे। रिछपालसिंह वल्द दुर्जनसालसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार रावतसिंह पुत्र कालूसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार नन्द वल्द मामराज महाजन ने उपरोक्त आराजी को मौके पर घरु तौर पर बांट रखा था तथा रावतसिंह पुत्र कालूसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार नन्द वल्द मामराज महाजन ने अपने हिस्से में आई भूमि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1106 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1107 1107 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1108 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1109 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 1110 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली की भूमि को जरिये रजिस्ट्री विकय पत्र दिनांक 24–6–1962 भोरिया, बालिया पुत्रान प्रभाती कौम अहीर निवासी द्वारिकापुरा को बेचान कर दिया था। तथा शेष आराजी में से रिछपालसिंह पुत्र दुर्जनसाल सिंह ने अपने हिस्से में आयी आराजी में से आराजी साबिक खसरा नम्बर 1112 रकबा 17 विस्वा, 1113 रकबा 9 बिस्वा, 1114 रकबा 6 बिस्वा, 1184 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1185 रकबा 9 बिस्वा, 1186 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि का बेचान प्रहलाद पुत्र छोटू अहीर को कर दिया इस प्रकार शेष बची आराजी साबिक खसरा नम्बर 1104 रकबा 1 बिघा 2. बिस्वा, 1105 रकबा 6 बिस्वा, 1111 रकबा 2 बीघा, 1187 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1188 रकबा 8 बिस्वा में रिछपालसिंह पुत्र दुर्जनसालसिंह के हिस्से में 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि शेष बची है तथा रावतसिंह पुत्र कालमसिंह व नन्द पुत्र मामराज महाजन के हिस्से में 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि शेष बची है। नन्द पुत्र मामराज व रावतसिंह ने अपने हिस्से में शेष बची आराजी को प्रतिवादी संख्या 8 को बेचान कर दिया था। आराजी साबिक खसरा नम्बर 1104 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1105 रकबा 6 बिस्वा, 1111 रकबा 2 बीघा, 1187 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1188 रकबा 8 बिस्वा वाके मौजा दांतिल के हाल खसरा नम्बर 2153/0.24. 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली बनें है। रिछपालसिंह पुत्र दुर्जनसालसिंह फौत गये जिनके वारिस उनके लडके वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी उदयसिंह व मुरलीधरसिंह पुत्रान रिछपालसिंह हुये। मुरलीधरसिंह पुत्र रिछपालसिंह अविवाहित फौत हो गये जिनके वारिस वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी उदयसिंह है। रावतसिंह पुत्र कालूसिंह फौत हो गये जिनके वारिस उनके लडके बाबूदानसिंह, अमरसिंह व सुमेरसिंह पुत्रान रावतसिंह हुये। अमरसिंह फौत हो गये जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। सुमेरसिंह फौत हो गये जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 है। उपरोक्त शेष बची आराली हाल खसरा नम्बर 2153/0.24, 2154/0.56, 2226/0.09. 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली में वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी का 4/5 व रावतसिंह एंव नन्दराम महाजन का हिस्सा 1/5 रहता है तथा रावतसिंह व नन्दराम द्वारा बहादुरसिंह को बेचान किये जाने के उपरान्त उपरोक्त आराजी में वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी हिस्सा 4/5 व बहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा 1/5 के खातेदार काश्तकार काबिज है। राजस्व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही के कारण उपरोक्त शेष बची आराजी हाल खसरा नम्बर 2153/0.24, 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली के राजस्व रिकॉर्ड में वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी व उनके मुरलीधर का हिस्सा 4/5 के स्थान पर 1/2 दर्ज कर रखा है। तथा बहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा 1/5 के स्थान पर 1/4 अंकित कर रखा है तथा रावतसिंह पुत्र कालूसिंह का नाम गलती से 1/4 हिस्से में अंकित कर रखा है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया के राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व विभाग द्वारा की गई गलती की जानकारी वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी को दो माह पूर्व पटवारी हल्का से स्वयं के भाई मुरलीधर का विरासत इंतकाल [illegible] की जानकारी हुई। वादी ने प्रतिवादीगण को उपरोक्त आराजी के राजस्व [illegible] दुरूस्ती कराने हेतु कहा परन्तु पहले तो प्रतिवादीगण टालमटोल [illegible] से साफ इंकार हो गये है इसलिए वादी को हक हो गया [illegible] नम्बर 2153/0.24, 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 [illegible] तहसील कोटपूतली के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 व राव[illegible]ह पुत्र कालूसिंह का नाम हटाया जाकर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्याा 11 उदयसिंह कां 4/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एंव उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु तहसीलदार कोटपूतली को लिखा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:36:54 IST
Reason: SelfAttested

2
खण्ड अधिकारी
(कोटपूतली–बहरोड़)

3– उपरोक्त आराजी का भविष्य में शामिल खाता होने के कारण विवाद का अंदेशा बना रहेगा इसलिए आराजी हाल खसरा नम्बर 2153/0.24. 2154/0. 56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली की भूमि का पक्षकारान के मध्य तकास्मा किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 के हिस्से 4/5 के अनुसार बंटवारा कर उनके हिस्से में आया भूमि का वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 को तन्हा रूप ये खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एंव उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु तहसीलदार कोटपूतली को लिखा जावे । प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व विभाग द्वारा की गयी गलती का नाजायज फायदा उठाते हुये भूमि को बेचान करनें व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहे हैं वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी को बहुत समझाया परन्तु वे अपनी चाल से बाज नहीं आ रहे हैं इसलिए वादी को हक हो गया है कि वह जरिये अदालत प्रतिवादीगण को इस अमर से पाबन्द करावे कि वे आराजी हाल खसरा नम्बर 2153/0.24, 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली में वादी व तरतीबी प्रतिवादी को हिस्सा 4/5 के अनुसार शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा दौराने वाद किसी दिगर व्यक्ति को रहन बेचान आदि न करे मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने से इंकार एंव भूमि को बेचान करने पर आमादा होने से पैदा हुआ । अनुतोष में वादी ने इस्तदुआ चाही कि एक किता डिकी बहक वादी व तरतीबी प्रतिवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्रदान की जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2153/0.24, 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 व रावतसिंह पुत्र कालूसिंह का नाम हटाया जाकर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 उदयसिंह को 4/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एंव उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु तहसीलदार कोटपूतली को लिखा जाये । आराजी हाल खसरा नम्बर 2153/0.24. 2154/0.56, 2226/0 09, 2229/0.35 वाके भौजा दांतिल तहसील कोटपूतली की भूमि का पक्षकारान के मध्य तकास्मा किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 के हिस्से 4/5 के अनुसार बंटवारा कर उनके हिस्से में आयी भूमि का वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11/1 लगायत 11/4 को तन्हा रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को इस अमर से पाबन्द करावे कि वे आराजी हाल खसरा नम्बर 2153/0.24, 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली में वादी व तरतीबी प्रतिवादी को हिस्सा 4/5 के अनुसार शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा दौराने वाद किसी दिगर व्यक्ति को रहन बेचान आदि न करे, मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

4– प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तल्ब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 02 मय अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किया शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नही आने के कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 ने जबाब प्रस्तुत कर वादी के वाद में अंकित तथ्यो को इंकार करते हुये कथन किया कि बेचानकर्ता रिछपालसिंह पुत्र दुर्जनसाल सिंह को मिन प्रतिवादी के हिस्से का बेचान का कोई अधिकार प्राप्त नही था, केवल अपने हिस्से को बेचान करने का अधिकार प्राप्त था। प्रत्येक खसरा नम्बर में प्रत्येक सहखातेदार का जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के मुताबिक हिस्सा था जिसे किसी भी दूसरे सहखातेदार काश्तकार को बेचान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, ना ही कोई सहकाश्तकार किसी दूसरे सहकाश्तकार के हिस्से की भूमि का बेचान कानूनन कर सकता है। इसलिये वादी का वाद खारीज किया जावे। जिस पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी–

1. आया आराजी साबिक खसरा नम्बर 1104 रकबा [illegible] बिस्वा, 1105 रकबा 6 बिस्वा, 1106 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा. 1107 रकबा 1 बीघा [illegible] बिस्वा, 1108 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1109 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 1110 रकबा [illegible] बीघा [illegible] 1111 रकबा 2 बीघा, 1112 रकबा 17 बिस्वा, 1113 रकबा 9 बिस्वा, [illegible] बिस्वा, 1184 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1185 रकबा 9 बिस्वा, 1186 रकबा 8 बिस्वा, 1187 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 1188 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 16 बीघा 4 बिस्वा वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार रिछपालसिंह वल्द दुर्जनसालसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार रावतसिंह पुत्र कालूसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकारनन्द वल्द मामराज महाजन थे।

वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:36:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2. आया रिछपालसिंह वल्द दुर्जनसालसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार रावतसिंह पुत्र कालूसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार नन्द बल्द मामराज महाजन ने उपरोक्त आराजी को मौके पर घरू तौर पुर बांट रखा था तथा सवत्तसिंह पुत्र कालूसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार नन्द वल्द मामराज महाजन ने अपने हिस्से में आई भूमि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1106 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1107 1107 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1108 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1109 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 1110 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली की भूमि को जरिये रजिस्ट्री विकय पत्र दिनांक 24–6–1962 भोरिया, बालिया पुत्रान प्रभाती कौम अहीर निवासी द्वारिकापुरा को बेचान कर दिया था। तथा शेष आराजी में से रिछपालसिंह पुत्र दुर्जनसाल सिंह ने अपने हिस्से में आयी आराजी में से आराजी साबिक खसरा नम्बर 1112 रकबा 17 विस्वा, 1113 रकबा 9 बिस्वा, 1114 रकबा 6 बिस्वा, 1184 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1185 रकबा 9 बिस्वा, 1186 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि का बेचान प्रहलाद पुत्र छोटू अहीर को कर दिया इस प्रकार शेष बची आराजी साबिक खसरा नम्बर 1104 रकबा 1 बिघा 2 बिस्वा, 1105 रकबा 6 बिस्वा, 1111 रकबा 2 बीघा, 1187 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1188 रकबा 8 बिस्वा में रिछपालसिंह पुत्र दुर्जनसालसिंह के हिस्से में 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि शेष बची है तथा रावतसिंह पुत्र कालमसिंह व नन्द पुत्र मामराज महाजन के हिस्से में 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि शेष बची है। **वादी**

3. आया शेष बची आराजी साबिक खसरा नम्बर 1104 2 बीघा 2 बिस्वा, 1105 रकबा 6 बिस्वा, 1111 रकबा 2 बीघा, 1187 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1188 रकबा 8 बिस्वा वाके मौजा दांतिल के हाल खसरा नम्बर 2153/0.24, 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली में राजस्व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही के कारण वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के साथ साथ रावतसिंह पुत्र कालूसिंह का नाम दर्ज कर रखा है जिसे वादी दुरुस्त करवाने के अधिकारी है। **वादी**

4. आया रिछपालसिंह पुत्र दुर्जनसालसिंह को प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से की भूमि का बेचान करने का अधिकार नहीं था इसलिये उपरोक्त बेचाननामा अवैध है। **प्रतिवादी**

5– बाद तनकी साक्ष्य वादी में वादी राधेश्याम ने अपने मौखिक बयान कराये व दस्तावेजी साक्ष्य में हाल जमाबन्दी प्रदर्श–1. मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, मिसल हकीयत सम्वत 2012–2024 प्रदर्श–3 लगायत 7, खसरा पत्रक प्रदर्श–४ लगायत 15, विकय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–16 व 17 तथा विकय पत्र दिनांक 25–9–1962 व विक्रय पत्र दिनांक 11–8–1964 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–18 व 19, जमाबन्दी सम्वत् 2021–2024 प्रदर्श–20, नामान्तकरण प्रदर्श–21, जमाबन्दी सम्वत् 2020–2024 प्रदर्श– 22 व 23, नामान्तकरण संख्या 212 प्रदर्श–24 पेश किये गये । प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से माननीय न्यायालय में बतौर जुबानी शहादत अपनी स्वयं के बयान लेखबद्ध कराये गये । उभय पक्षो की साक्ष्य ली गयी साक्ष्य वादी में वादी ने स्वयं राधेश्यामसिंह की मौखिक साक्ष्य करवायी तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाल जमाबन्दी संवत 2072–2075 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, मिसल हकेत संवत 2012–2024 प्रदर्श–3 लगायत 6, मिसल हकेत संवत 2037–2056 प्रदर्श–7, खसरा पत्रक प्रदर्श– 8 लगायत 15, विकय पत्र दिनांक 24.09.1962 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–16,17, विकय पत्र दिनांक 11.08.1964 की प्रमाणित प्रदर्श–18 व 19, जमाबन्दी संवत 2021–2024 प्रदर्श–20, नामान्तकरण संख्या 63 प्रदर्श–21, जमाबन्दी संवत 2020–2024 प्रदर्श–22 व 23, नामान्तकरण संख्या [illegible] प्रदर्श–24 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रतिवादी उम्मेदसिंह ने स्वयं की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की।

प्रकरण में उभय पक्षो की बहस सुनी गयी। प्रतिवादी [illegible] प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत की गयी। उभय पक्षो की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन किया। तदउपरान्त तनकीवार निर्णय इस प्रकार है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:36:54 IST
Reason: SelfAttested

2

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

6– यह कि तनकी नंबर 1 आया आराजी साबिक खसरा नम्बर 1104 रकबा 1 बिघा 2 बिस्वा, 1105 रकबा 6 बिस्वा, 1106 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1107 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1108 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1109 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 1110 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 1111 रकबा 2 बीघा, 1112 रकबा 17 विस्वा, 1113 रकबा 9 बिस्वा, 1114 रकबा 6 बिस्वा, 1184 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1185 रकबा 9 बिस्वा, 1186 रकबा 8 बिस्वा, 1187 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 1188 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 16 बीघा 4 बिस्वा वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार रिछपालसिंह वल्द दुर्जनसालसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार रावतसिंह पुत्र कालूसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकारनन्द वल्द मामराज महाजन थे उपरोक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था, उक्त तनकी नंबर 01 को साबित करने हेतु वादी ने स्वयं की मौखिक साक्ष्य व प्रदर्श 1 लगायत 24 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की वादी द्वारा प्रस्तुत मिसल हकेत संवत 2012–2024 प्रदर्श 3 लगायत 06 के अवलोकन से यह स्पस्ट है कि वाद के पैरा नंबर 01 में वर्णित भूमि के खातेदार रिछपाल सिंह पुत्र दुर्जनपाल सिंह हिस्सा 1/2 व रावत सिंह पुत्र कालूसिंह हिस्सा 1/4 व नंदराम पुत्र मामराज महाजन हिस्सा 1/4 है तथा स्वयं प्रतिवादी उम्मेदसिंह पुत्र अमरसिंह ने अपनी जिरह में यह तथ्य स्वीकार किया है कि उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की बुजुर्गान की शामिल खातेदारी की भूमि है तथा उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर रिछपाल पुत्र दुर्जनसालसिंह व 1/4 हिस्से पर मेरे दादा रावतसिंह पुत्र कालूसिंह व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार नन्दा पुत्र मामराज महाजन थे। इससे यह स्पस्ट है कि उक्त भूमि पक्षकारान की शामिल खातेदारी की भूमि थी जिसमें 1/2 हिस्से के खातेदार रिछपालसिंह पुत्र दुर्जनपालसिंह व 1/4 हिस्से के खातेदार रावतसिंह पुत्र कालूसिंह व 1/4 हिस्से के खातेदार नन्दा पुत्र मामराज महाजन थे। उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य व स्वयं प्रतिवादी की जिरह में स्वीकृति से तनकी नंबर 01 को साबित करने में पूर्ण सफल रहे है इसलिये उपरोक्त तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

7–यह कि तनकी नंबर 2 आया 1/2 हिस्से के खातेदार रिछपालसिंह वल्द दुर्जनसालसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार रावतसिंह पुत्र कालूसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार नन्द बल्द मामराज महाजन ने उपरोक्त आराजी को मौके पर घरू तौर पुर बांट रखा था तथा रावतसिंह पुत्र कालूसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार नन्द वल्द मामराज महाजन ने अपने हिस्से में आई भूमि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1106 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1107 1107 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1108 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1109 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 1110 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली की भूमि को जरिये रजिस्ट्री विकय पत्र दिनांक 24–6–1962 भोरिया, बालिया पुत्रान प्रभाती कौम अहीर निवासी द्वारिकापुरा को बेचान कर दिया था। तथा शेष आराजी में से रिछपालसिंह पुत्र दुर्जनसाल सिंह ने अपने हिस्से में आयी आराजी में से आराजी साबिक खसरा नम्बर 1112 रकबा 17 विस्वा, 1113 रकबा 9 बिस्वा, 1114 रकबा 6 बिस्वा, 1184 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1185 रकबा 9 बिस्वा, 1186 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि का बेचान प्रहलाद पुत्र छोटू अहीर को कर दिया इस प्रकार शेष बची आराजी साबिक खसरा नम्बर 1104 रकबा 1 बिधा 2 बिस्वा, 1105 रकबा 6 बिस्वा, 1111 रकबा 2 बीघा, 1187 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1188 रकबा 8 बिस्वा में रिछपालसिंह पुत्र दुर्जनसालसिंह के हिस्से में 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि शेष बची है तथा रावतसिंह पुत्र कालमसिंह व नन्द पुत्र मामराज महाजन के हिस्से में 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि शेष बची है को साबित करने का भार वादी पर है इस बाबत वादी ने मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–3 लगायत 6, मिसल हकेत संवत 2012–2024 प्रस्तुत की [illegible] भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार रिछपालसिंह पुत्र दुर्जनसालसिंह व [illegible] के खातेदार रावतसिंह पुत्र कालूसिंह व 1/4 हिस्से खातेदा[illegible] वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–16 व 17 विकय पत्र दिनांक 24.09.1962 [illegible] से यह जाहिर है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1106, 1107, 1108, 1109, 1110 कुल किता 05 रकबा 7 बीघा 01 विस्वा का विकय पत्र रावतसिंह पुत्र कालूसिंह व [illegible]दा पुत्र मामराज महाजन ने जरिये रजिस्ट्री दिनांक 24.09.1962 को ओरिया, बालिया पुत्रान प्रभाती को सम्पूर्ण हिस्सा बेचान किया तथा मुताबिक विकय पत्र जरिये नामान्तकरण संख्या 69 प्रदर्श–19 उक्त भूमि केतागण के नाम दर्ज हो गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:36:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र के पैरा नम्बर 01 में दर्ज आराजी कुल किता 16 रकबा 16 बीघा 04 विस्वा में प्रतिवादी व उनके बुजुर्गान रावतसिंह पुत्र कालूसिंह तथा नन्दा पुत्र मामराज महाजन का 1/2 यानी 8 बीघा भूमि आती थी जिसमें कुल 07 बीघा 01 बिस्वा का उन्होने रजिस्टी विकय पत्र प्रदर्श– 16 व 17 के जरिये ओरिया, बालिया पुत्रान प्रभाती को बेचान कर दिया तथा स्वयं प्रतिवादी ने अपनी जिरह के अंत मे यह तथ्य स्वीकार किया है कि दिनांक 24.06.1962 को उनके दादा रावतसिंह ने भूमि का बेचान किया है इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य व मोखिक साक्ष्य एवं स्वयं प्रतिवादी की जिरह में स्वीकृति से वादी उक्त तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है।

7. यह कि तनकी नंबर 03 आया शेष बची आराजी साबिक खसरा नम्बर 1104 2 बीघा 2 बिस्वा, 1105 रकबा 6 बिस्वा, 1111 रकबा 2 बीघा, 1187 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1188 रकबा 8 बिस्वा वाके मौजा दांतिल के हाल खसरा नम्बर 2153/0.24, 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली में राजस्व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही के कारण वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के साथ साथ रावतसिंह पुत्र कालूसिंह का नाम दर्ज कर रखा है जिसे वादी दुरुस्त करवाने के अधिकारी है जिसे साबित करने का भार न्यायालय द्वारा वादी पर है। इस बाबत वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 से यह बखुबी साबित है कि साबिक खसरा नम्बर 1104, 1105, 1111, 1187, 1188 वाके मोजा दांतिल से हाल खसरा नम्बर 2153/0.24, 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली बने है एवं वाद पत्र के पैरा नंबर 01 में वर्णित भूमि रिछपाल सिंह पुत्र दुर्जन साल सिंह हिस्सा 1/2, रावत सिंह पुत्र कालू सिंह हिस्सा 1/4 व नंद पुत्र मामराज हिस्सा 1/4 की खातेदारी की भूमि थी एवं रावत सिंह पुत्र कालू सिंह तथा नंद पुत्र मामराज महाजन ने जरिये रजिस्ट्री विकय पत्र स्वयं के हिस्से में आई भूमि का बेचान दीगर व्यक्तियों को कर दिया तथा केतागण के नाम नामांतरण भी दर्ज हो चुका है। ऐसी सूरत में शेष बची भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा शेष रहना संभव नही है तथा स्वयं उम्मेद सिंह ने अपनी जिरह के अंतिम पैरा में यह स्वीकार किया है कि उनके दादा ने अपने हिस्से में आई भूमि को जरिये रजिस्ट्री विकय पत्र भूरिया, बालिया पुत्रान प्रभाती को बेचान कर दिया था परंतु शेष बची भूमि में उनका हिस्सा बचता है परंत कितना बचता है इसका उन्होने कही खुलासा नही किया है। जबकि वादी ने अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से यह बखूबी साबित किया है कि प्रतिवादीगण व उनके बुजुर्गान रावत सिंह पुत्र कालूसिंह ने अपने हिस्से की भूमि को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया था तथा शेष बची भूमि में उनका हिस्सा नही बचता है इस प्रकार उक्त तनकी को साबित करने में वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से तनकी नंबर 03 को बखुबी साबित किया है।

7. यह कि तनकी नंबर 04 रिछपालसिंह पुत्र दुर्जनसालसिंह को प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से की भूमि का बेचान करने का अधिकार नहीं था इसलिये उपरोक्त बेचाननामा अवैध है उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है परंतु प्रतिवादी ने इस बाबत न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया और ना ही ऐसा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की जिस पर रिछपाल सिंह पुत्र दुर्जन साल सिंह ने प्रतिवादी के हिस्से की भूमि का बेचान किया हो इस प्रकार उक्त तनकी को प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष अपने दस्तावेजी व अपने मौखिक साक्ष्य से साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। इस प्रकार वादी द्वारा तनकी नंबर 01 लगायत 03 को वादी ने बखूबी साबित किया है जबकि तनकी नंबर 04 को साबित करने में प्रतिवादी पूर्णतया असफल रहे है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जाता है। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण 11/1 लगायत 11/4 को आराजी हाल खसरा नम्बर 2153/0.24, 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 [illegible] पुत्र कालूसिंह का नाम हटाया जाकर वादी एंव तरतीबी प्रति[illegible] 11/4 को 4/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कि[illegible] राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतू तहसीलदर पावटा को लिखा [illegible] जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर हो[illegible]

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा, कोटपूतली-बहरोड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:36:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या – 130/2016
पुनः दर्ज संख्या – 595/2021 दर्ज दिनांक :– 06.10.2021

उनवान/शीर्षक

राधेश्यामसिंह पुत्र स्व. श्री रिछपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दांतिल तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
–वादी

बनाम

1.औमप्रकाशसिंह पुत्र स्व. श्री अमरसिंह
2. उम्मेदसिंह पुत्र स्व. श्री अमरसिंह
3. पाबुदानसिंह पुत्र स्व. श्री रावतसिंह (फौत)
3/1 प्रदयुमनसिंह पुत्र श्री पाबुदानसिंह
3/2 ईश्वरसिंह पुत्र श्री पाबुदानसिंह
3/3 सुनिता कंवर पुत्री श्री पाबुदानसिंह
3/4 पंतग कंवर पुत्री श्री पाबुदानसिंह
4. श्रीमती हेमलता पत्नी स्व. श्री सुमेरसिंह
5. गजराजसिंह पुत्र स्व. श्री सुमेरसिंह
6. बृजराजसिंह पुत्र स्व. श्री सुमेरसिंह
7. मीरा कंवर पुत्री स्व. श्री सुमेरसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम दांतिल तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड,
8. बहादुरसिंह पुत्र स्व. श्री हरिसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुलाबढ तन दांतिल तहसील कोटपूतली हाल तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड,
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड
10. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय सब रजिस्ट्रार कार्यालय हाल कार्यालय पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड
प्रतिवादीगण
11. उदयसिंह पुत्र स्व. श्री रिछपालसिंह (फौत)
11/1 शांति पत्नी उदयसिंह
11/2 हरेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह
11/3 करणसिंह पुत्र उदयसिंह
11/4 सुषमा कंवर पुत्री उदयसिंह
समस्त जाति राजपूत नि. दांतिल तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, **तरतीबी प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक, तकास्मा एव स्थाई निषेधाज्ञा

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जाता है। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण 11/1 लगायत 11/4 को आराजी हाल खसरा नम्बर 2153/0.24, 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 व रावतसिंह पुत्र कालूसिंह का नाम हटाया जाकर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11/1 लगायत 11/4 को 4/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया किया जाता है एवं तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतू तहसीलदर पावटा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:36:54 IST
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
(कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	